न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

(पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)

राजस्ववाद सं. 04/2021

वादी

मृतक शंकरा पुत्र पीताम्बर के कायम मुकाम व वारिसदारः–
(अ)जीतेन्द्र कुमार पुत्र शंकरा उर्फ शंकरलाल जाति ब्रहमण निवासी जैसला तहसील सांचौर जिला सांचौर (राज.)

प्रतिवादीगण–

01. मृतक शंकरा पुत्र पीताम्बर के कायम मुकाम के वारिसदारानः–
    (अ) मृतक वासुदेव पुत्र शंकरा उर्फ शंकरलाल के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
        ए– अश्विन कुमार पुत्र वासुदेव।
        बी– शैलेष कुमार पुत्र वासुदेव।
        सी– शांतादेवी बैवा वासुदेव।
    (ब) मृतक बाबुलाल पुत्र शंकरा उर्फ शंकरलाल के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
        ए– रवि कुमार पुत्र बाबुलाल।
        बी– संजय कुमार पुत्र बाबुलाल।
        सी– भावनादेवी बैवा बाबुलाल।
    (स) किशनलाल पुत्र शंकरा उर्फ शंकरलाल ।
    (द) मृतक कनु पुत्र शंकरा उर्फ शंकरलाल के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
        ए–विशाल कुमार पुत्र कनु।
        बी–पुष्पादेवी बैवा कनु।

02. मृतक शिवजी पुत्र पीताम्बर के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
    (अ) मृतक छगनलाल पुत्र शिवजी के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
        (ए)– मृतक भूपत के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
            1. हितेश कुमार पुत्र भूपत।
            2. रेखा पुत्री भूपत।
            3. शारदा बैवा भूपत।
        (बी) अभाराम उर्फ अभेन्द्र पुत्र छगनलाल।
        (सी) रमेश कुमार पुत्र छगनलाल।
        (डी) मुकेश पुत्र छगनलाल।
        (ई) बंसती पुत्री छगनलाल।
        (एफ) नर्मदा पुत्री छगनलाल।
    (ब). वनाराम पुत्र शिवजी।
    (स). रडमल पुत्र शिवजी।
    (द). अम्बाराम पुत्र शिवजी।

03. मृतवफी लिखमणा पुत्र पीताम्बर के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
    अ– वीरमा पुत्र लिखमणा के कायम मुकाम व वारिसदारानः–
    (ए). लालू गोदपुत्र वीरमा

सहायक कलेक्टर, जिला जालोर (मुहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

ब– मूलाराम पुत्र लिखमणा के कायम मुकाम व वारिसदारान–

(ए) कल्पेशकुमार पुत्र मूलाराम।

(बी) विजयकुमार पुत्र मूलाराम।

(सी) कम्पादेवी बेवा मूलाराम।

स– रामा पुत्र लिखमणा के कायम मुकाम व वारिसदारान–

(ए) रमेश पुत्र रामा।

(बी) मगाराम पुत्र रामा।

(सी) दशरथ पुत्र रामा।

(डी) मानी बेवा रामा जातियान ब्राहमण निवासीगण जैसला तहसील सांचौर जिला सांचौर (राज.)

04. व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे.(एस.बी.आई.) बैंक शॉखा बिछावाडी तहसील सांचौर जिला सांचौर (राज.)

05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला सांचौर (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 40,88 आर.टी.एक्ट एवं 136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थिति:–

1. वकील श्री भगवती प्रसाद व श्री चेतन पुरोहित वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी सं. 01–अ–ए ता 03–सी–डी की ओर से वकील श्री मदनलाल जाट।
3. प्रतिवादी संख्या 4 एक पक्षीय।
4. तहसीलदार सांचौर राज पैरोकार।

निर्णय

दिनांक 06/05/024

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन मौजा जैसला पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 23,24,25,26,68,69,100,101,102,103,203/24,204/25205,101 जुमले रकबा 12.22 हैक्टयर किस्म बा.दो., जा.सो., गै.मु.तेड़, चा.सो., की आई हुई है। इस वादग्रस्त आराजी में वादीगण 1–अ एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं उनके उत्ताराधिकारियों का 1/5 हिस्सा समान रूप से है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पूर्वजपुरुष शंकरा उर्फ शंकरलाल के पांच पुत्र है. परन्तु शंकरा के फौत होन पर दर्ज नामान्तकरण में मुझ वादी एवं मेरे भाई कनु का नाम नाबालिग होने से छोड दिया एवं नामान्तकरण संख्या 05 दिनांक 19.05.1989 में मुझ वादी जितेन्द्रकुमार का नाम कनेयालाल गलत दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तकरण के आधार पर द्वितीय भू–प्रबंध के समय भू–प्रबंध कर्मचारियों ने मुझ [illegible] मेरे [illegible] भाई कनु का नाम [illegible] भाई कनु को खातेदारी जमाबंदी में दर्ज नही किए। इस प्रकार मुझ वादी [illegible] होने पर वादी द्वारा अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस [illegible] प्रस्तुत किया कर खातेदारी अधिकार घोषणा एवं राजस्व अभिलेखों में [illegible] सांचौर के खेत खसरा नम्बर निवेदन है कि मौजा जैसला पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 23,24,25,26,68,69,100,101,102,103,203/24,204/25205[illegible] जुमले रकबा 12.22 हैक्टयर किस्म बा.दो., जा.सो., गै.मु.तेड़, चा.सो., में वादी एवं वादी के मृतक भाई कनु के वारिसान (प्रतिवादीगण 1–द (ए और बी) के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है। प्रविवादी संख्या 01–अ (ए.बी.सी.) स एवं द(ए.बी.) के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल है। प्रकरण में विवाधक विरचित किये जाकर साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण ली गई तथा बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

वादीगण ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र में अंकित इस्तुआ अनुसार वादपत्र डिक्री फरमाने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बाबत् किसी प्रकार का उज्र एतराज जाहिर नही किया गया। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का विवाधकवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. **<u>तनकी</u> :– आया वाके सरहद मौजा जैसला के खेत खसरा नम्बर 23,24,25,26,68,69,100,10,102,103 जुमले रकबा 12.22 हैक्टयर आपसी बंटवाडा होकर उपरोक्त नवसृजित खेत खसरा नम्बर 203/24,204/25,101,26 जुमले रकबा 3.99 हेक्टयर भूमि वादी एवं मृतवफी कनु पुत्र शंकरा के वारिसारान विशाल कुमार व पुषादेवी की पैतृक सम्पति होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01(द) के वारिसरान ए एव बी का मृतवफी शंकरा पुत्र पिताम्बरा के 1/3 हिस्से में से 1/5–1/5 हक व हिस्सा होने से व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 68,69,205/101 जुमले रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01(द) के वारिसरान ए एव बी की पैतृक सम्पति होनेसे उक्त आराजी में मृतवफी शंकरा पुत्र पिताम्बर के 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्से की वादी खातेदारी की डिक्री पाने का हकदार हूं? (जिम्मे वादी)**

यह विवाधक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में कथन किया गया कि मौजा जैसला पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 23,24,25,26,68,69,100,101,102,103,203/24,204/25205,101 जुमले रकबा 12.22 हैक्टयर किस्म बा.दो., जा.सो., गै.मु.तेड़, चा.सो., की भूमि में शंकरा उर्फ शंकरलाल के फौत हो जोने पर दर्ज नामान्तकरण में उसका एवं उसके मृतक भाई कनु का नाम छूट गया था तथा उक्त भूमि पैतृक होने से उसे भी खातेदारी अधिकार प्राप्त है, अतः उसके तथा उसके भाई कनु की उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1–द (ए ओर बी) प्रत्येक 1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में PW-1 जितेन्द्र पुत्र शंकरा का साक्ष्य शपथ पत्र, PW-2 शैलेष कुमार पुत्र वासुदेव, PW-3 विशाल पुत्र कनु का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए तथा प्रदर्श 1 व 2 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी नकल, प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 05 की नकल, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–6 जमाबंदी संवत 2032–35 की नकल, प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत 2036–39 की नकल, प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत 2028–32 की नकल, प्रदर्श–9 नई मिसल बंदोबस्त द्वितीयकी नकल, प्रदर्श–10 जमाबंदी संवत 2041–44 की नकल प्रस्तुत कि[illegible]

साक्ष्यवादी में वादीया एवं [illegible] कथन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावे[illegible] है एवं राजस्व कर्मचारियों की भूल एवं वादी 1–अ [illegible] व प्रतिवादी 1–द (ए.बी) के पिता/पति के नाबालिग होने से नाम नामान्तकर[illegible] छूट गया। अतः वादी1–अ एवं प्रतिवादीगण 1–द(ए.बी) खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः यह विवाधक भली भांति साबित करने में वादीगण पूर्णतया सफल रहे है, अतः इसे वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तनकी :— आया वाके सरहद मौजा जैसला के पुराने खेत खसरा नम्बर 16,63,41 का मृतवफी शंकरा पुत्र पिताम्बर की फौतेदगी के पश्चात उनके वारिसरान के नाम भरा गया नामान्तरकण संख्या 05 में वादी का नाम जितेन्द कुमार की बजाय कनैयालाल भूलवश लिखा गया है जिसे सुधारा जाकर नामान्तरकरण संख्या 05 में कनैयालाल की जगह जितेन्द कुमार लिखवाने का वादी हकदार हूं ? (जिम्मे वादी)

यह विवाधक सिद्व करने की जिम्मेदारी वादीगण की है चूंकि पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाधक संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित हुआ है तथा साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ पत्रो से उसके पूर्वज शंकरा के कनेयालाल नाम का कोई पुत्र होना सिद्व नही होता है एवं वादी के नाबालिग अवस्था में उसका गलत नाम राजस्व दस्तावेजो में दर्ज कर दिया गया, जिसे शुद्व किया जाना उचित है। यह विवाधक वादी के पक्ष में भली प्रकार साबित होता है, अतः इसे वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **अन्य दादरसी–**

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन से समस्त विवाधक निर्णित किए जा चुके है। दावे का दर्जा व खर्चा संबंधित पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। न्यायालय अन्य कोई अनुतोष प्रदान करना शेष या आवश्यक नही मानता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर मौजा जैसला पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर जिला सांचौर के खेत खसरा नम्बर 203/24 रकबा 0.77 हैक्टयर, ख.नं. 204/25 रकबा 0.69 हैक्टयर, ख.नं. 101 रकबा 1.19 हैक्टयर, ख.नं. 26 रकबा 1.34 हैक्टयर जुमले रकबा 3.99 हैक्टयर भूमि में वादी 1–अ जितेन्द्र कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1–द(ए.बी) विशाल कुमार व पुष्पा देवी को वादग्रस्त भूमियों में प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 68 रकबा 0.08 हैक्टयर, ख.नं.69 रकबा 0.12 हैक्टयर, ख.नं.205/101 रकबा 0.08 हैक्टयर जुमले रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि में वादी 1–अ जितेन्द्र कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1–द(ए.बी) विशाल कुमार व पुष्पा देवी को वादग्रस्त भूमियों में प्रत्येक को 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा।

आया वाके सरहद मौजा जैसला के पुराने खेत खसरा संख्या 16,63,41 के नामान्तकरण संख्या 05 में भूलवंश दर्ज कनेयालाल को सुधार कर जितेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को ... खुले इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर–सांचौर • जिला जालोर •

Scanned with OKEN Scanner